पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

लल्लन पांडेय एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2019 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.13738

22 सितंबर, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री संदीप कुमार)

विचार के लिए मुद्दा

क्या स्थायी लोक अदालत, रोहतास, सासाराम द्वारा विभाजन वाद संख्या 502/2005 में पारित निर्णय सही है या नहीं?

हेडनोट्स

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987—धारा 22-ए (ए), 22 बी और 22 ए (बी) - पक्षकारों के बीच दायर समझौता याचिका के आधार पर याचिकाकर्ताओं और निजी प्रतिवादियों के बीच वाद की संपत्ति का बंटवारा किया गया है - अवार्ड मिलने के बाद, याचिकाकर्ता ने अपनी जमीन का उपयोग करना शुरू कर दिया - जब उसे पता चला कि प्रतिवादी संख्या 2 ने उसके साथ धोखाधड़ी की है, तो उसने स्थायी लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड को रद्द करने के लिए रिट दायर की। निर्णय: स्थायी लोक अदालत केवल सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों का समाधान कर सकती है, जिसमें ऐसी सेवाएँ भी शामिल हैं जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अंतर्गत सार्वजनिक हित में सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ घोषित कर सकती है। विभाजन वाद का विषय किसी भी सार्वजनिक उपयोगिता सेवा से संबंधित नहीं है, जिस पर स्थायी लोक अदालत क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकती है। जिस न्यायालय/प्राधिकरण का इस मामले में कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, उसे पक्षकारों द्वारा उनकी सहमति से क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता है और विषय-वस्तु पर क्षेत्राधिकार न रखने वाले न्यायालय/प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश कानून की दृष्टि में अमान्य है। स्थायी लोक अदालत का विवादित निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर है। विवादित निर्णय को रद्द किया जाता है। रिट स्वीकृत।

(पैराग्राफ 3, 4, 11, 12)

न्याय दृष्टान्त

धीरेंद्र प्रताप सिंह बनाम रविकांत सिंह, **2014(2) पीएलजेआर 619;** कृष्ण मुरारी तिवारी बनाम राम कृत तिवारी और अन्य, **2018 का सिविल विविध संख्या 876**—पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

मुख्य शब्दों की सूची

स्थायी लोक अदालत, अवार्ड , सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं।

प्रकरण से उत्पन्न

विभाजन वाद संख्या 502/2005 में स्थायी लोक अदालत, रोहतास सासाराम द्वारा पारित दिनांक 27.09.2005 के निर्णय से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ताओं की ओर से: श्री चंद्रकांत, अधिवक्ता।
राज्य की ओर से: श्री एस. के. मंडल, एस.सी.-3; श्री बिपिन कुमार, एस.सी-3 के ए.सी.
प्रतिवादी संख्या 2 से 6 की ओर से: श्री धर्मेंद्र चौबे, अधिवक्ता; श्री उमेश नारायण दुबे, अधिवक्ता।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2019 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं 13738

==========

1 . ललन पांडेय, पिता- स्वर्गीय अनिरुद्ध पांडेय |

2. राजीव रंजन, पिता- श्री ललन पांडेय।

निवासी- ग्राम आलमपुर, टोला- जिगिंट, डाकघर- आलमपुर, थाना- शिवसागर, जिला- रोहतास (बिहार)

... ... याचिकाकर्ताओं

बनाम

1. समाहर्ता/जिला दंडाधिकारी, रोहतास के माध्यम से बिहार राज्य।
2. बबन पांडेय, पिता- स्वर्गीय अनिरुद्ध पांडेय।
3. बिनोद पांडेय, पिता- बबन पांडेय।
4. प्रमोद पांडेय, पिता- बबन पांडेय।
5. जीतेन्द्र पांडेय, पिता- बबन पांडेय।
6. संजय पांडेय, पिता- बबन पांडेय।

क्रम सं 2 से 6 निवासी- ग्राम- आलमपुर, टोला- जिगिंट, डाकघर- आलमपुर, थाना- शिवसागर, जिला- रोहतास(बिहार)

--- ---प्रतिवादीगण

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री चंद्र कांत, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री एस.के.मंडल, एस.सी-3
		श्री बिपिन कुमार, एस.सी-3 के ए.सी.
उत्तरदाता संख्या 2 से 6 के लिए	:	श्री धर्मेन्द्र चौबे, अधिवक्ता
		श्री उमेश नारायण दुबे, अधिवक्ता

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री संदीप कुमार

मौखिक निर्णय

तिथि : 22-09-2023

यह आवेदन 2005 के विभाजन वाद संख्या 502 में सासाराम में स्थायी लोक अदालत, रोहतास द्वारा पारित दिनांक 27.09.2005 के निर्णय को दरकिनार करने के लिए दायर किया गया है, जिसके द्वारा पक्षकारों के बीच दर्ज की गई समझौता याचिका के आधार पर याचिकाकर्ताओं और निजी उत्तरदाताओं के बीच वाद संपत्ति का विभाजन किया गया है।

2. याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि याचिकाकर्ता सं 1 पटना में कार्यरत एक अधिवक्ता हैं और अधिकांश समय वे पटना में रहते थे। याचिकाकर्ता सं 1 का भाई अर्थात उत्तरदाता सं 2, उन्होंने अपनी संपत्ति को आधे हिस्से में विभाजित करने का फैसला किया क्योंकि वे दोनों पूर्ण भाई थे और संपत्ति केवल उनके बीच विभाजित की जानी थी। विभाजन के उपरोक्त निर्णय को देखते हुए, याचिकाकर्ता सं 1 के साथ उत्तरदाता सं 2 ने विभाजन के लिए स्थायी लोक अदालत में 2005 का विभाजन मुकदमा सं 502 दायर किया। चूंकि पक्षों के बीच समझौता हुआ था, इसलिए याचिकाकर्ता सं 2 और उनका पुत्र यानी याचिकाकर्ता सं 2 को उत्तरदाता सं 2 द्वारा रोहतास के दीवानी न्यायालय में बुलाया गया और उनका प्रतिनिधित्व किया गया कि पैतृक संपत्ति को आधे हिस्से में विभाजित करने के लिए समझौता याचिका तैयार की गई है और तदनुसार, याचिकाकर्ताओं ने समझौता याचिका पर हस्ताक्षर किए।

3. समझौते के बाद, याचिकाकर्ताओं ने कृषि संपत्ति के अपने आधे हिस्से पर खेती करना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक, वर्ष 2011 में याचिकाकर्ता सं 2 को गुर्दे की बीमारी का पता चला और उनके इलाज के लिए याचिकाकर्ता सं 1 अपनी संपत्ति का एक हिस्सा बेचना चाहता था। याचिकाकर्ता सं 1 ने एक खरीदार से रु. 2,00,000 का अग्रिम

लिया, लेकिन उत्तरदाता सं 2 ने कहा कि वह संपत्ति का अपना आधा हिस्सा नहीं बेच सकता क्योंकि उसका हिस्सा कम है। इसके बाद, याचिकाकर्ता सं 1 ने स्थायी लोक अदालत के पंचाट की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया और पता चला कि उत्तरदाता सं 2 ने याचिकाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी की थी और जो अनुसूची तैयार की गई थी, उसमें याचिकाकर्ताओं को संपत्ति का एक चौथाई हिस्सा दिया गया था, हालांकि याचिकाकर्ता संपत्ति के आधे हिस्से के हकदार थे। इस धोखाधड़ी को महसूस करते हुए याचिकाकर्ताओं ने यह रिट याचिका दायर करके इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि स्थायी लोक अदालत द्वारा पारित पंचाट अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना है। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि भले ही याचिकाकर्ताओं ने समझौता याचिका पर हस्ताक्षर किए हों, लेकिन फिर भी स्थायी लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना है क्योंकि स्थायी लोक अदालत केवल ऐसी सेवा सहित सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के संबंध में विवादों का समाधान कर सकती है, जिसे केंद्र या राज्य सरकार जनहित में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित कर सकती है।

5. अपनी दलीलों के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने ***धीरेंद्र प्रताप सिंह बनाम रवि कांत सिंह*** के मामले, ***2014 (2) पी. एल. जे. आर. 619*** में रिपोर्ट दी गई और इस न्यायालय द्वारा 01.09. 2023 को पारित 2018 का सिविल विविध मामला सं 876 ***(कृष्ण मुरारी तिवारी बनाम राम कृत तिवारी और अन्य)*** में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है।

6. उत्तरदाता सं 2 से 6 के विद्वान अधिवक्ता ने स्थायी लोक अदालत के निर्णय का समर्थन किया है और कहा है कि पैतृक संपत्ति के विभाजन में कोई धोखाधड़ी

नहीं की गई थी और समझौता विलेख पर याचिकाकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और इसलिए, अब वे यह दावा नहीं कर सकते हैं कि पंचाट अवैध है।

7. मैंने याचिकाकर्ता की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया है।

8. यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में बल पाता है कि भले ही याचिकाकर्ताओं के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने समझौता याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन फिर भी स्थायी लोक अदालत के फैसले को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए रद्द करना होगा कि स्थायी लोक अदालत केवल ऐसी सेवा सहित सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के संबंध में विवाद का समाधान कर सकती है, जिसे केंद्र या राज्य सरकार कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक हित में सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित कर सकती है।

9. इसी तरह के मुद्दे का फैसला ***धीरेंद्र प्रताप सिंह बनाम रविकांत सिंह (ऊपर)*** में किया गया है।उपरोक्त निर्णय के अनुच्छेद सं 9,10,11,15 और 16, को उद्धृत करना प्रासंगिक होगा, जो निम्नानुसार हैंः

> *"9. धारा 22-ए (ए), 22-बी और 22-ए (बी) के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट होगा कि लोक अदालत की स्थापना केवल धारा 22-ए के तहत परिभाषित एक या अधिक "सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं" के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए की जा सकती है।*
>
> *10. इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए धारा 22-ए (बी) के तहत परिभाषित सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के*

अलावा किसी भी मामले के संबंध में "स्थायी लोक अदालत" का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता है।

11. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये प्रावधान अधिनियम के अध्याय VI-A के तहत आते हैं जो पूर्व-मुकदमेबाजी, सुलह और निपटान से संबंधित है।अध्याय 6-क के शीर्ष से यह प्रतीत होगा कि किसी "स्थायी लोक अदालत" को किसी ऐसे मामले के संबंध में कोई अधिकारिता नहीं होगी जो किसी न्यायालय में लंबित था।इसका अधिकार क्षेत्र केवल ऐसे मामलों के संबंध में हो सकता है जो अब तक अदालत में नहीं गए हैं।

15. इस मामले के दो पहलू हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, धारा 22ए (बी) के अर्थ के भीतर कोई भी सार्वजनिक उपयोगिता सेवा मुकदमे का विषय नहीं थी। मुकदमे के विषय का उन सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से कोई संबंध नहीं था जिनके लिए स्थायी लोक अदालतें स्थापित की गई हैं और केवल जिनके लिए स्थायी लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र हो सकता है।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, मेरी राय में, "स्थायी लोक अदालत" को 2003 के स्वत्व वाद सं 283 की विषय वस्तु के संबंध में किसी भी उद्देश्य के लिए प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। 2004 के विविध मामला सं 06 में "स्थायी लोक अदालत" कैमूर, भभुआ द्वारा पारित दिनांक 10.06.2011 का विवादित आदेश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना बनाए नहीं रखा जा सकता है। दूसरा; किसी भी मामले में, एक "स्थायी लोक अदालत" किसी भी विवाद पर विचार नहीं कर सकती थी जिसे "स्थायी लोक अदालत" से संपर्क करने से पहले किसी भी अदालत के समक्ष लाया गया था। एक "स्थायी लोक अदालत" के पास निश्चित रूप से पक्षों के बीच विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन केवल मुकदमे से पहले के मामलों के संबंध में जब विवाद सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में से किसी एक से

संबंधित हो।"स्थायी लोक अदालत" के पास कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अध्याय VI-A के तहत प्रदान किए गए किसी भी विवाद से निपटने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता है।

16. उत्तरदाताओं की ओर से की गई प्रस्तुति को उपरोक्त चर्चाओं को देखते हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, इस आवेदन की अनुमति है।स्थायी लोक अदालत, कैमूर, भभुआ द्वारा 10.06.2011 को 2004 का विविध मामला सं.6 में पारित विवादित आदेश को अलग रखा गया है।

10. ***कृष्ण मुरारी बनाम राम कृत तिवारी (ऊपर)*** के मामले में इस अदालत ने अनुच्छेद संख्या 13 और 14 में निर्णय दिया है जो निम्नानुसार है:-

*"13. इसी तरह का विचार इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ द्वारा **निजामुद्दीन उर्फ़ सैयद निजामुद्दीन बनाम सैयद शाहनवाज आलम और अन्य** (ऊपर) के मामले में लिया गया है। इस विषय को उद्धृत करने के लिए उपरोक्त निर्णय के अनुच्छेद सं 7 से 9 तक, प्रासंगिक होगा जो निम्नानुसार है:-*

"7. मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और सामग्री का अध्ययन किया है। इस स्तिथि में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-ए, 22-बी और 22-सी को पुनः प्रस्तुत करना प्रासंगिक होगा जो इस प्रकार है:-

22 ए.परिभाषाएं

इस अध्याय में और धारा 22 और 23 के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि अन्य संदर्भ की आवश्यकता न हो।

क) "स्थायी लोक अदालत" से धारा 22 ख की उप-धारा (1) के तहत स्थापित एक स्थायी लोक अदालत अभिप्रेत है;

ख) "सार्वजनिक उपयोगिता सेवा" का अर्थ है -

i) हवाई, सड़क या पानी द्वारा यात्रियों या माल की ढुलाई के लिए परिवहन सेवाएं; या

ii) डाक, तार या तार या टेलीफोन सेवा; या

iii) किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा जनता को बिजली, प्रकाश या पानी की आपूर्ति; या

(iv) सार्वजनिक संरक्षण या स्वच्छता की प्रणाली; या

v) अस्पताल या औषधालय में सेवा; या

vi) बीमा सेवा और इसमें कोई भी सेवा शामिल है जिसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार, यथास्थिति, लोक हित में, अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए एक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित कर सकती है।

22 बी . स्थायी लोक अदालत की स्थापना

1. धारा 19,में कुछ भी निहित होने के बावजूद,केन्द्रीय प्राधिकरण या, यथास्थिति, प्रत्येक राज्य प्राधिकरण, ऐसे स्थानों पर और एक या अधिक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के संबंध में और ऐसे क्षेत्रों के लिए जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाएं, ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए स्थायी लोक अदालत की स्थापना करेगा।

2. उप-धारा (1) के तहत अधिसूचित क्षेत्र के लिए स्थापित प्रत्येक स्थायी लोक अदालत में निम्नलिखित शामिल होंगे -

क) एक व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश है या रहा है या

जिला न्यायाधीश से उच्च पद पर न्यायिक पद धारण किया है, वह स्थायी लोक अदालत का अध्यक्ष होगा; और

ख) सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में पर्याप्त अनुभव रखने वाले दो अन्य व्यक्ति,जिन्हें केंद्र सरकार या, यथास्थिति, राज्य सरकार द्वारा, केंद्रीय प्राधिकरण या, यथास्थिति, राज्य प्राधिकरण की सिफारिश पर, ऐसी स्थायी लोक अदालत की स्थापना के लिए नामित किया जाएगा और अध्यक्ष और खंड (ख) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य नियम और शर्तें, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

22-ग.स्थायी लोक अदालत द्वारा मामलों का संज्ञान।

(1) विवाद का कोई भी पक्ष, किसी भी अदालत के समक्ष विवाद को लाने से पहले, स्थायी लोक अदालत में विवाद के निपटारे के लिए आवेदन कर सकता है;बशर्ते कि स्थायी लोक अदालत को किसी ऐसे अपराध से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जो किसी कानून के तहत शमनीय नहीं है; बशर्ते कि स्थायी लोक अदालत को उस मामले में भी अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जहां विवाद में संपत्ति का मूल्य दस लाख रुपये से अधिक है; बशर्ते कि केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, केंद्रीय प्राधिकरण के परामर्श से दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट दस लाख रुपये की सीमा बढ़ा सकती है।

(2) स्थायी लोक अदालत में उप-धारा (1) के तहत आवेदन किए जाने के बाद, उस आवेदन का कोई भी पक्ष उसी विवाद में किसी भी अदालत की अधिकारिता का आह्वान नहीं

करेगा।

(3)जहाँ उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी स्थायी लोक अदालत में आवेदन किया जाता है, वहाँ (क) आवेदन के प्रत्येक पक्षकार को निर्देश दिया जाएगा कि वह उसके समक्ष एक लिखित कथन प्रस्तुत करे, जिसमें आवेदन के अंतर्गत विवाद के तथ्य और प्रकृति, ऐसे विवाद के मुद्दे या मुद्दे और ऐसे मुद्दों या मुद्दों के समर्थन या विरोध में दिए गए आधार, जैसा भी मामला हो, बताए जाएँ, और ऐसा पक्षकार ऐसे कथन के साथ किसी भी दस्तावेज़ और अन्य साक्ष्य को प्रस्तुत कर सकता है, जिसे वह ऐसे तथ्यों और आधारों के प्रमाण के रूप में उपयुक्त समझे और, की एक प्रति, ऐसे कथन के साथ, ऐसे दस्तावेज़ और अन्य साक्ष्य, यदि कोई हो, की एक प्रति, आवेदन के प्रत्येक पक्षकार को भेजेगा;

(बी) सुलह कार्यवाही के किसी भी चरण में आवेदन के किसी भी पक्ष से उसके समक्ष अतिरिक्त बयान दायर करने की आवश्यकता हो सकती है;

(ग) किसी भी पक्ष से प्राप्त किसी भी दस्तावेज या बयान को दूसरे पक्ष को आवेदन में बताएगा, ताकि ऐसा अन्य पक्ष उसका जवाब दे सके।

(4) जब स्थायी लोक अदालत की संतुष्टि के लिए उप-धारा (3) के तहत बयान, अतिरिक्त बयान और जवाब, यदि कोई हो, दायर किया गया हो, तो यह आवेदन के पक्षों के बीच सुलह की कार्यवाही इस तरह से करेगा कि वह विवाद की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उचित समझे।

(5) स्थायी लोक अदालत, उप-धारा (4) के तहत सुलह की कार्यवाही के संचालन के दौरान, पक्षों को स्वतंत्रता और निष्पक्ष तरीके से विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने के उनके प्रयास में सहायता करेगी।

(6) आवेदन के प्रति प्रत्येक पक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह आवेदन से संबंधित विवाद के सुलह में स्थायी लोक अदालत के साथ सद्भावना से सहयोग करे और उसके समक्ष साक्ष्य और अन्य संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए स्थायी लोक अदालत के निर्देश का पालन करे।

(7) जब किसी स्थायी लोक अदालत की, उपरोक्त सुलह कार्यवाही में, यह राय होती है कि ऐसी कार्यवाहियों में निपटारे के तत्व मौजूद हैं जो पक्षों को स्वीकार्य हो सकते हैं, तो वह विवाद के संभावित निपटारे की शर्तें तैयार कर सकती है और संबंधित पक्षों को अपनी टिप्पणियों के लिए दे सकती है और यदि पक्ष निपटान या विवाद पर किसी समझौते पर पहुंचते हैं, तो वे निपटान समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे और स्थायी लोक अदालत उसके संदर्भ में एक पंचाट पारित करेगी और संबंधित पक्षों में से प्रत्येक को इसकी एक प्रति प्रस्तुत करेगी।

(8) जहां पक्ष उप-धारा (7) के तहत किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहे, स्थायी लोक अदालत, यदि विवाद किसी अपराध से संबंधित नहीं है, तो विवाद का फैसला करेगी।

8. धारा 22-ए (बी), जो सार्वजनिक उपयोगिता सेवा को परिभाषित करती है और धारा 22-ए (ए), धारा 22-ए (बी), धारा 22-बी और धारा 22-सी को सामूहिक रूप से पढ़ने से पता चलता

है कि कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अध्याय VI-ए में, जो मुकदमेबाजी, सुलह और निपटान से संबंधित है, स्थायी लोक अदालतों की स्थापना केवल एक या अधिक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए की गई है, जैसा कि अधिनियम की धारा 22-ए (बी) के तहत परिभाषित किया गया है। इस प्रकार एक स्थायी लोक अदालत न्यायालय के पास सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के अलावा किसी अन्य मामले के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

9.वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या 1 ने स्थायी लोक अदालत, कैमूर के विद्वान न्यायालय, भभुआ के समक्ष मुकदमा संख्या 205/2004 के तहत एक पूर्व-मुकदमा दायर किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह घोषित और पुष्टि करने का अनुरोध किया गया था कि शिकायतकर्ता/वादी स्वामी है और वादाधीन संपत्ति पर उसका कब्ज़ा है, जिसका वर्णन अनुसूची 'के' में किया गया है। यह स्पष्ट है कि उक्त पूर्व-मुकदमा टी.एस. मुकदमा संख्या 205/2004 का उन सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से कोई संबंध नहीं था जिनके लिए पूर्वोक्त स्थायी लोक अदालतें स्थापित की गई हैं और जिन पर स्थायी लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र हो सकता है।"

14. वर्तमान मामले में भी, 2009 के स्वत्व वाद सं 72 की विषय वस्तु किसी भी सार्वजनिक उपयोगिता सेवा से संबंधित नहीं है, जिस पर स्थायी लोक अदालत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकती है। इसलिए, इस न्यायालय की राय है कि स्थायी लोक अदालत का निर्णय अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

11. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों पर विचार करते हुए और इस मामले के तथ्यों पर भी विचार करते हुए, मेरा विचार है कि इस मामले में विभाजन मुकदमे की विषय वस्तु किसी भी सार्वजनिक उपयोगिता सेवा से संबंधित नहीं है, जिस पर स्थायी लोक अदालत अधिकारिता का प्रयोग कर सकती है। जिस न्यायालय/प्राधिकरण को इस मामले में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, उसे पक्षकारों द्वारा उनकी सहमति से अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं किया जा सकता है और उक्त न्यायालय/प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश, जिसके पास इस विषय पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, कानून की नजर में अमान्य है। इसलिए, इस न्यायालय की राय है कि स्थायी लोक अदालत का विवादित निर्णय अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

12. उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, इस आवेदन की अनुमति है। तदनुसार, 2005 के विभाजन वाद सं 502 में स्थायी लोक अदालत, रोहतास द्वारा पारित 27.09.2005 दिनांकित पंचाट को अलग कर दिया गया है। हालाँकि, पक्षों को अपनी संपत्ति के विभाजन के लिए सक्षम दीवानी न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी गई है।

(संदीप कुमार, न्यायमूर्ति)

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।